राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

दुर्गापुरा, जयपुर–302018

क्रमांकःएफ.9(   )श्रीकनकृविवि / निदे.राकृअसं / लेखा / 2024 / 920   दिनांकः 11/6/2024

खुली निविदा सूचना

इस संस्थान के पाडासोली व बडवा फार्म पर हिस्सा आधारित खेती के लिए खरीफ 2024 व रबी 2024–25 के लिए दिनांक 20.06.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है एवं निविदाएं दिनांक 20.06.2024 को श्रीमान निदेशक, राज. कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर कार्यालय में दोपहर 03.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एव शर्तों की जानकारी इस संस्थान से 590/– रूपए जमा कराके दिनांक 19.06.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ पच्चीस हजार रूपए धरोहर राशि डी.डी., निदेशक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा के नाम करवानी होगी। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.sknau.ac.in एव राज्य सरकार की वेबसाइट http://spp.raj.nic.in पर अपलोड कर दी गई है निविदा को बिना बताएं निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप अथवा आपका नोमिनी नियुक्त करावें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को http://eproc.rajasthan.gov, sppp. rajasthan.Gov. in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराऍं।
3. डॉ. रानी सक्सैना, सहायक आचार्य को भेज कर लेख है कि उक्त ई–निविदा को www.raridurgapura.ac.in पर आज ही अपलोड करें।
4. संयोजक / सदस्य, निविदा समिति, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. ऑवर ऑल इंचार्ज / फार्म इंचार्ज, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
7. कैशियर, लेखा शाखा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर / श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।

निदेशक

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा प्रपत्र			
	योजना का नाम	पाड़ासोली व बड़वा फार्म पर हिस्सा आधारित खेती	
	बजट हेड	रिवोल्विंग फण्ड	
	कार्य की अनुमानित अवधि	रबी 2024–25, खरीफ 2024,	
	निविदा फार्म का मूल्य	590/– रूपये रसीद नं. दिनांक	
	धरोहर राशि की प्रकृति एवं राशि	25000/– रूपये (डी.डी. द्वारा)	
	निविदादाता/कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण		
क्र.स.	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत
1.	दाना/बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर को मिलने वाला हिस्सा	
		संस्थान को मिलने वाला हिस्सा	

निविदा शर्तेः–

1.	पाड़ासोली व बड़वा फार्म पर कुल कृषि योग्य भूमि 567.25 एकड़ है जिसमें से प्रत्येक सीजन में कम से कम 200 एकड़ अथवा संस्थान के निर्देशानुसार आवंटित क्षेत्र में खेती करनी होगी।
2.	निविदादाता निविदा फार्म में अपना नाम, पता एवं मोबाईल नं. स्पष्ट अक्षरों में लिखें एव पते का प्रमाण किसी उपयुक्त प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स या बैंक पास बुक जिसमें फोटो लगी हो की एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करें। उक्त पता पत्र व्यवहार हेतु वैध रहेगा।
3.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
4.	फार्मों पर फसल बुवाई हेतु पड़त भूमि की अच्छी तरह से तैयारी निविदादाता द्वारा की जायेगी जिसका खर्चा निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
5.	ट्रेक्टर संबंधी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरा, केल्टीवेटर, द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रील द्वारा बुवाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था निविदादाता द्वारा ही की जाएगी, जिसका व्यय का वहन निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
6.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफुदनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति कमेटी द्वारा की सिफारिश दर के अनुसार की जायेगी।
7.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग के उपरांत फार्म के गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रकिया में लगने वाला श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने हेांगे।
8.	फसल कटाई व थ्रेसिंग प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे। फार्म इंचार्ज की संतुष्टी पश्चात थ्रेसिंग कार्य करवाया जावेगा।
9.	उत्पदित फसल का चारा/भूसा निविदादाता का होगा।
10.	फसल अवधि के दौरान कमेटी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर कृषि कार्यों का सत्यापन करवाया जायेगा। कृषि कार्य समय पर सम्पादित नहीं करने पर कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

DIRECTOR
Rajasthan Agriculture Research Institute
JAIPUR-302018

11.	विभिन्न प्रकार के शस्य कियाएं फार्म इन्चार्ज के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।
12..	निविदादाता को दिया जाने वाला उपज का हिस्सा जिन्स या रूपये के रूप में दिए जाने का निर्णय निदेशक द्वारा किया जाएगा व निविदादाता को पूर्ण मान्य होगा। थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बटवारे के बाद निविदादाता को उन फसलों का थ्रेसिंग के समय उपज मण्डी के एक सप्ताह के औसत भाव के आधार पर (कमेटी द्वारा निर्धारित दर) चैक द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।
13.	फार्म पर कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविविदादात की होगी।
14.	फार्म पर स्थित तारबंदी की मरम्मत का कार्य समय समय पर निविदादाता को ही करनी होगी। संस्थान अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
15.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने है इसके लिए फार्म इन्चार्ज से संपर्क करना होगा।
16.	निराई गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फर्म इन्चार्ज होगा।
17.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किए फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म इन्चार्ज द्वारा बताए अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय गर्मी एवं कचरे का रबी में 2 प्रतिशत एवं खरीफ में 4 प्रतिशत काटा जावेगा।
18.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से अन्यत्र ले जाने हेतु वाहन में भराई निविदादाता द्वारा की जावेगी।
19.	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म इन्चार्ज की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा।
20.	आवास की व्यवस्थ निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगा।
21.	जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
22.	फार्म की फसलों की रखवाली दिन–रात की निविदादाता द्वारा की की जावेगी। संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
23.	सफल निविदादाता को पांच सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र टाईप करवा कर तथा नोटरी से प्रमाणित करवा कर कार्यालय में निविदा स्वीकृत होने के तीन दिवस में कार्यालय में जमा करवाना होगा। जिसमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार करते हुए कार्य करने की सहमति प्रदान की जाए एवं इसके अभाव में जमानत राशि जब्त की ली जावेग तथा सफल निविदादाता को कार्य आदेश नहीं दिया जाएगा जिसकी पुर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
24.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र में और आसपास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने एवं निराई गुडाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। खरपतवार एवं अवांछित पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगार निविदादाता से वसूला जावेगा।
25.	प्रथम वरीयत प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश निदेशक दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए अथवा नए टेण्डर के कार्य आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो तक मान्य होगा।
27.	फार्मों पर उपलब्ध नकारा/ अनुपयोगी एवं अन्य सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
28.	संस्था द्वारा बीज उत्पादन हेतु गठित कमेटी द्वारा निर्धारित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार खेती करनी होगी।

DIRECTOR
...than Agriculture Research Institute
...JAIPUR-302018

29.	किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसी शीतलहर, ओलावृष्टि इत्यादि आने पर निविदादाता को केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का अनुदान व फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
30.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार निदेशक का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
31.	जिस निविदादाता के पास इस प्रकार के सरकारी फार्म पर बारानी खेती करने का अधिकतम अनुभव है। उसकी ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
32.	फार्मों पर फसल की बुवाई तभी होगी तब भूमि की तैयारी अच्छी प्रकार से हो जायेगी एवं फार्म इंचार्ज से बुवाई की आज्ञा लेनी होगी यदि फार्म इंचार्ज भूमि की तैयारी से संतुष्ट हो जायेगा तभी फसल बुवाई की आज्ञा देगा।
33.	फार्म कार्य संतोषजनक पायें जाने पर विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों एवं निविदादाता की आपसी सहमति से एक वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर है तथा मैं

उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व वैध पता दिनांक सहित

DIRECTOR
Rajasthan Agriculture Research Institute
Durgapura, JAIPUR-302018